

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 151/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/244

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1.जसाराम पुत्र फुसाराम

2.जगदीश पुत्र फुसाराम

3.खेमराम पुत्र फुसाराम

4.तगाराम पुत्र फुसाराम

5.नराराम पुत्र फुसाराम

6.मेघाराम पुत्र फुसाराम

जाति दर्जी निवासी डऊकियो का
तला,सारणो की बेरी तहसील पचपदरा
वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला
बालोतरा

1.किशनाराम पुत्र सुखाराम

2.गेनाराम पुत्र मकाराम

3.चैनीदेवी पत्नी मकाराम

4.जगाराम पुत्र सुखाराम

5.पनाराम पुत्र मकाराम

6.पुरखाराम पुत्र मकाराम

7.बावुराम पुत्र मकाराम

8.मूलाराम पुत्र सुखाराम

9.रूपाराम पुत्र मकाराम

10.लूममाराम पुत्र मकाराम

जाति जाट निवासी झिपाणियों की ढाणी
तहसील गिड़ा व जिला बालोतरा

11.प्रहलादराम पुत्र केहराराम

12.भलाराम पुत्र केहराराम

13.जमना पत्नी कौलाराम

14.रतनाराम पुत्र कौलाराम

15.हीराराम पुत्र कौलाराम

16.पूराराम पुत्र भीयाराम

17.भंवरीदेवी पत्नी गुमनाराम

18.सोनाराम पुत्र भीयाराम

19.हीराराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट
निवासी डऊकिया तला,सारणों की बेरी
तहसील पचपदरा

20.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी व
जिला बालोतरा



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री ओमप्रकाश डाबी अधिवक्ता प्रार्थीगण
- 2.श्री वगताराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 4 से 8
- 3.विप्रार्थी संख्या 2,3 व 9 से 20 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 20.12.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सारणों की बेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी में खेत खसरा संख्या 218/832 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सारणों की बेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी में खेत खसरा संख्या 218/832 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री वगताराम चौधरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 4 से 8 की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 2,3 व 9 से 20 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सारणों की बेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी में खेत खसरा संख्या 218/832 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सारणों की बेरी पटवार हल्का



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी में खेत खसरा संख्या 218/832 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी के आदेश फरमाये जाये।

4. विप्राधी संख्या 1 व 4 से 8 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 218/832 में विप्राधी द्वारा कभी दखलदान्जी नहीं की गई है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व विप्राधी की भूमि सेबा सेबा अवस्थित है। प्रार्थीगण व विप्राधी के मध्य कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण व विप्राधी के खेत अलग इलग गांवों की सीमाओं पर है एवं सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण विप्राधी से विवाद करते रहते है। दोनों के खेत के बीच ओवरगेप की जमीन है। इस कारण ओवरगेप की जमीन दोनों पक्षों में बांटकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जाती है, तो आपत्ति नहीं है।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सारणों की बेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी में खेत खसरा संख्या 218/832 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 29.6.2023 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

—आदेश—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सारणों की बेरी पटवार हल्का साजियाली रूपजी राजाबेशी तहसील पाटोदी में खेत खसरा संख्या 218/832 क्षेत्रफल 4.8400 हैक्टर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20/12/2024 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

20/12/24

